न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा)

<u>आप. प्रक. क.—523 / 2014</u> संस्थित दिनांक—16.06.2014 फा.नंबर 234503000952014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा जिला-बालाघाट (म.प्र.)

/ / <u>विरुद</u>्ध / /

- 1.विजय गौतम पिता स्व. खेमराज गौतम, उम्र—31 वर्ष निवासी वार्ड नं.—4, नरसिंगटोला, थाना—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 2.अजय बिसेन पिता डालीराम पवार, उम्र—23 वर्ष निवासी भोरवाही, थाना—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 3.शिवेन्द्र तेकाम पिता स्व. चैतराम प्रधान, उम्र—27 वर्ष निवासी बिजेगांव, थाना बम्हनी, जिला मण्डला, हाल वनरक्षक बघोली, थाना—परसवाडा।
- 4.प्रमोद गौतम पिता भगवत, उम्र—24 वर्ष निवासी छिन्दवाड़ा प्रथम विहार थाना छिन्दवाड़ा हाल वनरक्षक बघोली, थाना—परसवाड़ा। ——— — —<u>आ</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-07/11/2017 को घोषित)

01— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—295/34, 295क/34, 153क/34, 298 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.04.2014 को रात 08:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम लिंगा स्थित डाँ० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर प्रतिमा का अपमान एवं बाबा साहब के अनुयायियों

की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिमा के पास शराब की बोतल पर फूलों का हार चढ़ाकर तथा जूता पहनकर प्रतिमा के मंच पर चढ़कर अशोभनीय कार्य कर प्रतिमा का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तथा बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान कर जातियों या समुदाय के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य कर लोक प्रशांति में विघ्न डाला एवं बाबा अम्बेडकर के अनुयायी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि ग्राम लिंगा में डॉ० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। दिनांक 15—16.04.14 की दरम्यानी रात्रि लगभग 02:00 बजे उक्त आरोपीगण ने प्रतिमा के पास शराब पीकर शराब की बोतल को डॉ बाबा साहब के चरणों (पैर) में खाली—खाली बोतल को रख दिया एवं प्रतिमा के सम्मुख फूलों के हार को बोतल पर चढ़ा दिया तथा जूता पहनकर प्रतिमा मंच पर चढ़ना जैसे अशोभनीय कृत्य किये जो प्रतिमा का अपमान एवं अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया। अभियोगी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका—नक्शा, जप्ती एवं फरियादी एवं गवाहों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 67 / 14 दिनांक 22.05.14 तैयार न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—295/34, 295क/34, 153क/34, 298 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने

प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की (

04-प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—16.04.2014 को रात 08:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम लिंगा स्थित डॉ० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर प्रतिमा का अपमान एवं बाबा साहब के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिमा के पास शराब की बोतल पर फूलों का हार चढ़ाकर तथा जूता पहनकर प्रतिमा के मंच पर चढ़कर अशोभनीय कार्य कर प्रतिमा का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह आरोपीगण के साथ मिलकर बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान कर जातियों या समुदाय के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य कर लोक प्रशांति में विघ्न डाला ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में बाबा अम्बेडकर के अनुयायी की धार्मिक भावनाओं को देस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित किया ?

सकारण निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 03

साक्ष्य की पुनरावृत्ति तथा सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— फरियादी मुन्नूलाल मण्डलेकर अ.सा.1 ने कहा हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना अप्रैल 2014 की ग्राम लिंगा की है। घटना सुबह के नौ बजे वह बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लिंगा में छत डलवाने के लिए गड्ढा खुदवाने गया था, तब वहां देखा कि मूर्ति के पास दोनो पैरों के बीच में रम शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। उसने पास के रामचरण से पूछा तो उसने बताया कि रात में गौतम साहब और बिसेन, तेकाम व एक और गौतम आये थे, जिन्होंने वहां पर शराब की बोतल रखे थे। उसे रामचरण ने बताया था कि बिसेन लड़के ने उन लोगों को बोतल रखने से रोका था। इसके बाद वह गौतम साहब के पास गया तब उनकी पत्नि ने बोला कि रात में देर से आये हो। उसके बाद उसने घटना समाज के अन्य लोगों को बतायी, फिर सभी ने थाना जाकर घटना की रिपोर्ट लिखायी थी। उन्होंने थाना परसवाडा में घटना की लिखित शिकायत प्र.पी.01 दी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिसवालों ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका-नक्शा प्रपी-03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिसवालों ने घटनास्थल पर उसके बताये अनुसार शराब की खाली बोतलें जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिसवालों ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.05 लगायत 08 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— फरियादी मुन्नूलाल मण्डलेकर अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उन्होंने अपने आवेदन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि रात्रि में वह अपने घर पर था और बोतल किसने रखा था, उसने नहीं देखा था। अम्बेडकर जी की प्रतिमा मोटर स्टेण्ड में है। साक्षी ने स्वीकार कि मोटर स्टेण्ड मेन रोड़ से लगा हुआ है। यह स्वीकार किया कि उसने बाटल थाने में ले जाकर नहीं दिया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन में थाने में नहीं बताया था कि बाटल कौन लोगों ने रखा है। यह स्वीकार किया कि प्रतिमा रामचरण की दुकान के किनारे पर है तथा प्रतिमा के सामने नरेश डोंगरे का घर है। मौका—नक्शा में दो घर बनाये गये थे, नागदौने और फूलवतीबाई के इसके अलावा अन्य कोई घर नहीं

बनाये गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि इसके अलावा अन्य घर मौका—नक्शा में बनाये गये हो तो वह गलत है, आरोपीगण में से किसने यह बाटल रखी थी वह यह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि प्रमोद, शिवेन्द्र, अजय, विजय के अलावा अगर किसी अन्य व्यक्ति ने बाटल रखी हो तो वह नहीं बता सकता। विजय, शिवेन्द्र और प्रमोद वनरक्षक है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उक्त आरोपीगण गांव में लकड़ी पकड़ने का काम करते है। लिंगा गांव में हर घर में गैस नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय लोग लकड़ी से खाना बनाते थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि गांव वाले जंगल से लकड़ी लाते थे तथा लकड़ी चोरी से बचने के लिए आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है।

साक्षी रामचरन अ.सा.०२ ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष अप्रेल माह की है। वह मोटर स्टेण्ड लिंगा के पास स्थित अपनी दुकान पर सोया हुआ था। रात्रि करीब बारह बजे आरोपीगण आये और उससे टण्डा लिये थे। कुछ देर बाद आवाज आयी कि ऐसा मत करो, परंतु वह डर के कारण नहीं गया। आरोपीगण के जाने के बाद उसने घटनास्थल पर देखा कि बाबा अम्बेडकर की मूर्ति के पास बियर की बोतलें, रम के पौवे पड़े हुए थे और माला पड़ी हुई थी। रात में ही उसने मास्टर डोंगरवार को बताया तो उन्होंने भी आकर घटनास्थल पर देखे थे। मृन्नुलाल आये और उससे पूछा तो उसने बताया कि रात्रि में आरोपीगण आये थे, जो वहां पर बोतलें रखकर चले गये, जिसके बाद अन्य लोगों से चर्चा के उपरांत उन्होंने थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस थाना परसवाड़ा में उन्होंने घटना की लिखित शिकायत प्रपी-01 दी थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिसवालों ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-05 लगायत 08 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

08- साक्षी रामचरन अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष

के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने शराब की बोतलें रखते हुए किसी को नहीं देखा है, उसने गौतम को बाटल रखते हुए नहीं देखा है, प्रपी-01 में क्या लिखा है वह नहीं बता सकता, उसे हसताक्षर करने के लिए कहा गया था, तो उसने कर दिया था, घटना की जानकारी सबसे पहले उसने मुन्नुलाल मण्डलेकर को दी थी, अम्बेडकर जी की प्रतिमा रोड से लगी हुई है, उक्त मार्ग पर वाहनों का आना जाना लगा रहता है, उसने आरोपीगण को शराब पीते नहीं देखा है, नरेश डोंगरे के घर के सामने अम्बेडकर की प्रतिमा है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रतिमा उसकी दुकान से नहीं दिखती है, चबूतरे पर अन्य व्यक्ति बैठते है। उसकी चाय की दुकान है। चाय वह लकडी या कोयले से बनाता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी द्कान में गैस नहीं है। यह स्वीकार किया है कि अजय, प्रमोद, विजय वनरक्षक है, उक्त वनरक्षक लोगों को लकडी काटने एवं जंगल आने जाने से रोकते है, घटना के समय अपने होटल पर था, उसने अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास किसी को नहीं देखा था, अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास बाटल आरोपीगण ने रखा था या नहीं वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार घटना आरोपीगण द्वारा कारित की गई, क्योंकि वहां अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसकी होटल के लिए लकडी लाने से मना करने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध झूठा बयान दे रहा है।

09. साक्षी दीनदयाल खोब्रागढ़े अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। वह मुन्नुलाल प्रार्थी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व ग्राम लिंगा बुद्ध विहार में बाबा अम्बेड़कर जी की प्रतिमा के पास की है। उसे घटना के संबंध में रामचरण ने बताया था कि बाबा अंबेडकर की प्रतिमा के पास शराब की बोतल रखी हुई थी। उनके समाज के सभी लोग जानकारी होने पर थाना गये थे। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक

16/04/2014 को रात्रि 09:00 बजे की है। उसे रामचरण ने फूलों का हार पड़ा हुआ था और जूते पहनकर आरोपीगण ने वहां पर प्रवेश किया था यह बात बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि मुन्नालाल ने घटना के संबंध में थाना प्रभारी महोदय को एक आवेदन दिया था जो प्र.पी01 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण द्वारा ऐसा कार्य करने से उनकी भावना को ठेस पहुंचायी है और लोगों की शांति में बाधा डाला है, इससे उनके समाज में अशांति उत्पन्न हो गयी थी।

- 10— साक्षी दीनदयाल खोब्रागढ़े अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी01 उनके द्वारा दिया गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उन्होंने आरोपीगण के नाम से आवेदन नहीं दिया था। साक्षी के अनुसार गौतम के नाम से दिया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि आवेदन कौन से गौतम के नाम से दिया गया था यह नहीं लिखा है, बाबा साहब की प्रतिमा रोड़ के पास है, रोड़ पर लोगो का आना जाना होता रहता है, रामचरण की होटल है, लिंगा में लकड़ी क्रय करने के लिए कोई डिपो नहीं है, लिंगा के निवासी जंगल से ही लकड़ी लाते हैं। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि फॉरेस्ट वाले गांव वालों को लकड़ी लाने के लिए रोकते हैं। साक्षी ने अस्वीकार किया कि रामचरण ने आरोपीगण को बॉटल रखते हुए नहीं देखा था, किन्तु यह स्वीकार किया कि उक्त घटना किसने कारित की उसने नहीं देखा, इसलिए नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार उसे रामचरण ने घटना के बारे में बताया था।
- 11— साक्षी दीनदयाल खोब्रागढ़ें अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि अगर उसके पुलिस कथन में मुन्नु कोटवार ने उसके घर आकर बताया वाली बात लिखी गयी हो तो वह गलत है, पुलिस द्वारा जो कथन लेखबद्ध किया गया है वह उसने पढ़कर नहीं देखा है, उसके पुलिस कथन में क्या लिखा है वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उसके बताये अनुसार लिखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा आरोपीगण के नाम

नहीं बताये गये थे यदि उसके पुलिस कथन में आरोपीगण का नाम लेखबद्ध हो तो वह गलत है। साक्षी अनुसार गौतम बताया था। साक्षी ने अस्वीकार किया कि किस आरोपी ने बाबा साहब की प्रतिमा के पास क्या रखा है यह रामचरण ने नहीं बताया था। साक्षी के अनुसार रामचरण ने बताया था कि गौतम ने रखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह प्रतिमा के पास गया था, वह किस वक्त गया था उसे आज समय नहीं पता है। उनके द्वारा जो प्र.पी01 दी गयी थी उसे उसने पढ़कर देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त रिपोर्ट में कितने बजे का समय उन्हें अवगत कराने का लिखा है वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटना रामचरण के बताये अनुसार बता रहा है।

साक्षी सेवकराम रामटेके अ.सा.०४ का कथन है कि वह आरोपी विजय गौतम और अजय बिसेन को जानता है, अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। वह मुन्नुलाल प्रार्थी को जानता है। घटना दिनांक 16.04.2014 को ग्राम लिंगा बस स्टेण्ड के पास बाबा अम्बेड़कर जी की प्रतिमास्थल की है। मुन्नुलाल मण्डलेकर उनके समाज का अध्यक्ष है, वह गमी में गया था। मुन्नुलाल और रामचरण वहां आये और उसे बताये कि आरोपीगण विजय गौतम, अजय बिसेन व अन्य आरोपी द्वारा बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर दारू की बोतल रखे थे और उनकी प्रतिमा पर चढ़ा हुआ फूलों का हार बोतल के पास रखे हैं। उसके बाद सभी ने मिलकर एक आवेदन तैयार किया और थाने में जाकर थाना प्रभारी महोदय को दिया था। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की थी और उसके बयान लिये थे। आरोपीगण द्वारा ऐसा कृत्य करने से उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी के द्वारा ऐसा कृत्य करने से बाबा साहब अम्बेड़कर की प्रतिमा का अपमान किया गया है। उसने उक्त बात पुलिस को कथन देते समय बता दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि मुन्नुलाल की होटल एवं पान-ठेले की दुकान है। साक्षी के अनुसार रामचरण चिचखेड़े की दुकान है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसे रामचरण ने रम और बियर उसकी द्कान से लिये यह बताया था।

साक्षी सेवकराम रामटेके अ.सा.०४ ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि बाबा साहब की प्रतिमा बैहर लामता रोड किनारे है, उक्त रोड पर काफी लोगों का आना–जाना होता है, उनकी रिपोर्ट प्र.पी01 में आरोपीगण का नाम नहीं लिखा था, उक्त घटना वह रामचरण के बताये अनुसार बता रहा है, आरोपीगण के अलावा किसी अन्य द्वारा उक्त कृत्य किया गया हो तो वह नहीं बता सकता क्योंकि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। वह ग्राम लिंगा में रहता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि लिंगा में लकडी का डिपो नहीं है. परसवाडा में डिपो है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि रोजमर्रा की जलाने की लकडियँ कहां से लायी जाती हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि रामचरण की चाय की होटल है, किन्तू यह अस्वीकार किया कि रामचरण लकडी से चाय बनाता है। साक्षी के अनुसार लकडी कोयला से बनाता होगा। साक्षी ने स्वीकार किया कि कोयले की कोई खदान नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि फॉरेस्ट वाले कोयले व लकडी की पकडा–धकडी करते है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन में आरोपीगण के नाम नहीं बताये थे, यदि उसके पुलिस कथन में लेखबद्ध हो तो वह नहीं बता सकता। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन को पढ़कर नहीं देखा था। उसे मुन्नालाल ने घटना रात्रि एक व दो बजे के बीच होना बताया था। साक्षी के अनुसार रामचरण और मुन्नालाल मण्डलेकर ने बताया था। रिपोर्ट करने वह दस-ग्यारह बजे के लगभग गये थे।

14— साक्षी जगदीश अ.सा. 05 का कथन है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी मुन्नुलाल मण्डलेकर को जानता है। घटना आज से ड़ेढ़—दो वर्ष पूर्व कि अप्रैल माह की ग्राम लिंगा की है। उसे मुन्नूलाल ने घटना के संबंध में बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास बियर की बॉटले और हार रखा हुआ है, तब वह उसके बताने पर बाबा साहब

अम्बेडकर की मूर्ति के पास देखा तो बीयर की बॉटल और हार रखा हुआ था। उसे मुन्नुलाल ने बताया था कि विजय गौतम वगैरह द्वारा रखा गया है। वह मुन्नुलाल के साथ घटना की रिपोर्ट करने थाना गया था। मुन्नुलाल द्वारा थाना प्रभारी महोदय परसवाड़ा को एक लिखित आवेदन दिया था, जो प्रपी—1 है, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। आरोपीगण द्वारा ऐसी घटना कारित करने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी तथा समाज के लोगों में अशांति फैल गई थी।

साक्षी जगदीश अ.सा. 05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि शराब की बॉटल किसने रखा था, उसने रखते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय आवेदन पढा था, तब हस्ताक्षर किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उन्होंने आरोपीगण के नाम अपने आवेदन में लिखकर नहीं दिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि प्रपी-1 के आवेदन पर आरोपीगण के नाम नहीं लिखे हो तो वह गलत है। यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी, इसलिये नहीं बता सकता कि घटनास्थल पर बॉटल किसने रखी थी। यह स्वीकार किया कि जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा है, वहाँ अंधेरा रहता है। साक्षी के अनुसार रोड किनारे प्रतिमा है, वहां बल्ब जलता है, किन्तू यह अस्वीकार किया कि वहां पर पास में जाने पर चबूतर में कौन बैठा है, समझ में नहीं आता है। उसके घर में खाना लकडी से बनता है। यह स्वीकार किया कि वह लकड़ी जंगल से ही लाता है। यह स्वीकार किया कि विजय, प्रमोद, शिवेन्द्र, वनरक्षक है। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण जंगल से लकडी लाने वालों को पकडते है। यह स्वीकार किया कि वह मुन्नुलाल मण्डलेकर के बताये अनुसार बयान दे रहा है। यह स्वीकार किया कि उसने अपना पुलिस कथन पढा था। उसे आज ध्यान नहीं है कि उसने अपने पुलिस कथन में चबूतरे में जूते पहनकर चढ़ने वाली बात बताई थी या नहीं। यह स्वीकार किया कि बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने की सडक में आवा-जाही रहती है और रात भर आना-जाना होता है।

प्रकाश वैध अ.सा.06 ने कहा है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी मुन्नुलाल मण्डलेकर को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व ग्राम लिंगा की है। उन लोग श्याम कुमार वासनिक के देहांत होने पर शमशान घाट गए थे, वहां पर मुन्नुलाल मण्डलेकर और रामचरण ने उसे बताया कि बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति के पास नीचे खाली बियर की बॉटल और हार जो कभी पहना हुआ था, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति के पैर पर पड़ा हुआ था। उन लोगों ने जाकर देखा तो बाबा अम्बेडकर की मूर्ति के पास खाली बियर की बॉटल और हार पैर के पास पूड़ा हुआ था। अध्यक्ष मुन्नुलाल द्वारा इस घटना के संबंध में एक आवेदन थाना परसवाड़ा को दिया गया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के संबंध में उसे मुन्नुलाल ने बताया था कि घटना विजय गौतम द्वारा कारित की गई है तथा विजय गौतम के साथ अजय बिसेन, शिवेन्द्र टेकाम और प्रमोद गौतम भी थे तथा मुन्नुलाल ने उसे घटना के संबंध में बताया था कि आरोपीगण ने बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति के मंच पर जूते पहन कर चढ़े थे। आरोपीगण द्वारा ऐसी घटना कारित करने के कारण समाज के लोगों की भावनाओं को देस पहुँची थी और अशांति व्याप्त हो गई थी।

17— साक्षी प्रकाश वैद्य अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के बारे में वह मुन्नुलाल मण्डलेकर के बताये अनुसार बता रहा है। यह स्वीकार किया कि प्र.पी.01 में उनके द्वारा किसी का नाम नहीं दिया गया है। यह स्वीकार किया कि बॉटल किसने रखा था, उसने नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार बॉटल रखी हुई थी, किसने रखा नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि बाबा

साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा मोटर स्टेण्ड में है, जो मेन रोड से लगा हुआ है। अम्बेडकर जी की प्रतिमा से मुन्नुलाल मण्डलेकर का घर 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्वीकार किया कि जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित है, वहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। यह स्वीकार किया कि यदि उक्त स्थान पर कोई बैठा है तो पास में जाकर टार्च मारकर देखा जा सकता है। साक्षी के अनुसार मुन्नुलाल मण्डलेकर ने टार्च मारकर देखना बताया था। यह स्वीकार किया कि बाबा साहेब की प्रतिमा के पास किसने बियर की बॉटल व हार रखा था, वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने रखते हुए किसी को नहीं देखा था, उसे मुन्नुलाल मण्डलेकर ने बताया था। यह स्वीकार किया कि विजय, शिवेन्द्र एवं प्रमोद वनरक्षक है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि गांव के लोग जंगल से लकड़ी लाते हैं। यह स्वीकार किया कि आरोपीगण लकड़ी पकड़ने का काम करते हैं।

18— साक्षी कपूरचंद अ.सा.07 ने कहा है कि वह आरोपी विजय गौतम को जानता है, अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। वह प्रार्थी मुन्नुलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पूर्व की थी। उसे सुबह जानकारी लगी थी, जब वह लिंगा में ही अपने भांजे की मैयत में गया हुआ था, उसी समय मुन्नुलाल समाज के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बाबा अम्बेड़कर की मूर्ति के पैर के पास दारू की बॉटल रखी हुई है। उसने मुन्नुलाल द्वारा थाना परसवाड़ा को दिये गये आवेदन प्र.पी.01 पर हस्ताक्षर किया था। धर्मस्थल बाबा साहब अम्बेड़कर की मूर्ति पर ऐसा करने से उसे बुरा लगा। ऐसा करने से सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ा उसे नहीं मालूम। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि मुन्नुलाल द्वारा जानकारी दी गई कि बाबा साहब की मूर्ति पर फूलमाला व जूते पहनकर मंच पर चढ़कर अशोभनीय कार्य किया गया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।

- 19— साक्षी कपूरचंद अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आवेदन पत्र प्र.पी.01 में किसके नाम लिखे हैं पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार उसे दस्तखत करने के लिए कहा गया तो उसने दस्तखत कर दिया था। यह स्वीकार है कि प्र.डी.01 पर क्या लिखा है, उसे पढ़कर नहीं बताया गया था, उसके कथन प्र.डी.01 में क्या लिखा है वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार पढ़कर नहीं सुनाये तो वह क्या बताऐगा। यह स्वीकार है कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर किसके द्वारा उक्त कृत्य किया गया है वह नहीं बता सकता।
- साक्षी टी.पी. चौबे अ.सा.08 ने कहा है कि वह दिनांक 16.04.14 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध कमाक 65/14 अंतर्गत धारा 153क, 295, 297क, 298,34 भा.दं०सं० की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 18.05.14 को गवाह रमेश डोंगरवार के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। प्रकरण की शेष विवेचना सुभाषसिंह ठाकुर के द्वारा की गयी थी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि गवाह रमेश डोंगरवार के बयान उनके बताये अनुसार नहीं बल्कि अपने मन से लेख किया था।
- 21— साक्षी महेश वांडरे अ.सा.09 ने कहा है कि वह आरोपीगण और प्रार्थी मुन्नालाल को जानता है। घटना करीब दो साल पूर्व ग्राम लिंगा बस स्टेण्ड में रात्रि के दस—ग्यारह बजे अंबेडकर प्रतिमा की है। उन्हें सुबह उनके समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल चिचखेड़े ने बताया था कि घटना के समय आरोपीगण अम्बेडकर प्रतिमा के पास बैठकर शराब पी रहे थे, जिन्होंने शराब की बोतलें व अन्य चीजों को वहीं छोड़ दिया था। आरोपीगण ने बोतल तथा अन्य चीजों की माला बनाकर प्रतिमा पर चढ़ा

दिये थे। सूचना पर वह सभी समाज के लोगों ने परसवाड़ा थाना जाकर घटना की शिकायत दर्ज करायी थी। उन्होंने थाने में घटना की लिखित शिकायत प्र.पी.01 दी थी, जिसके एफ से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। आरोपीगण के उक्त कृत्य से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.09 पुलिस देना व्यक्त किया।

- साक्षी महेश वांडरे अ.सा.०९ ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उनके द्वारा जो आरोपीगुण के विरूद्ध आवेदन दिया गया था, उसमें आरोपीगण के नाम नहीं थें, किन्तु यह स्वीकार किया कि वह घटना के बारे में मुन्नालाल के बताये अनुसार बता रहा है, वह अपने भाई के मृतक कार्य में था। वह उस दिन थाने नहीं गया। यह स्वीकार किया कि वह सुबह घटनास्थल पर नहीं गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने मूर्ति पर माला चढी हुई नहीं देखा था। यह स्वीकार किया कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर किसने हार चढाया उसने नहीं देखा था। यह स्वीकार किया कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा बस स्टेण्ड में बैहर-लामता रोड़ से लगी हुई है। पुलिस ने उसका बयान घटना के एक दिन बाद ली थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटना के दस दिन बाद उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, रामचरण की चाय की दुकान और होटल है, रामचरण अपनी दुकान में लकड़ी व कोयला का उपयोग करता है, ग्राम लिंगा में लकडी का कोई डिपो नहीं है, गावं वाले जब जंगल से लकड़ी चोरी कर लाते हैं, तो फॉरेस्ट वाले उन्हें रोकते हैं, वह घटना के समय नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास बोतल किसने रखा था।
- 23— साक्षी दिनेश अ.सा.10 ने कहा है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक

16.04.2014 दिन के 10:00 बजे श्याम के घर कोटवार मुन्नुलाल ने आकर बताया था कि उसने सुबह 9:00 बजे बाबा अंबेडकर की मूर्ति के पैरों के पास खाली शराब की बोतल और फूल की माला चढ़ी देखी थी, उसे रामचरण ने बताया था कि दिनांक 15.04.2014 रात्रि 2:00 बजे वनरक्षक गौतम शेष आरोपीगण के साथ आकर मूर्ति के पास बैठकर दारू पीये और जूता पहनकर चबूतरा में चढ़े और आरोपीगण ने खाली शराब की बोतल वहाँ रखकर प्रतिमा का अपमान किया, जिसे रामचरण ने दुकान के अंदर से देखा था। यह अस्वीकार किया कि तब उन लोगों ने आरोपीगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र बाबा साहब को अपमानित करने तथा धार्मिक भावना संबंधी दिया था। यह अस्वीकार किया कि बाद में रामचरण चिचखेड़े ने बताया था कि आरोपीगण ने उक्त कृत्य किया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.10 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

- 24— साक्षी नारायण अ.सा.11 ने कहा है कि वह आरोपी विजय गौतम को जानता है अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। वह प्रार्थी मुन्नुलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पूर्व की थी। उसे सुबह जानकारी लगी थी कि वह लिंगा में ही अपने भाई की मैयत में गया हुआ था, उसी समय मुन्नुलाल समाज के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बाबा अम्बेड़कर की मूर्ति में पैर के पास दारू की बॉटल रखी हुई है। उसने मुन्नुलाल द्वारा थाना परसवाड़ा को दिये गये आवेदन प्र.पी.01 पर हस्ताक्षर किया था। धर्मस्थल बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर ऐसा करने से उसे बुरा लगा। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि मुन्नुलाल द्वारा जानकारी दी गयी कि बाबा साहब की मूर्ति पर फूलमाला व जूते पहनकर मंच पर चढ़कर अशोभनीय कार्य किया गया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।
- 25— साक्षी नारायण अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आवेदन पत्र प्र.पी.01 में

किसके नाम लिखे हैं, पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार उसे दस्तखत करने के लिए कहा गया, तो उसने दस्तखत कर दिया था। यह स्वीकार किया कि प्र.डी.01 पर क्या लिखा है, उसे पढ़कर नहीं बताया गया था। यह स्वीकार किया कि कथन प्र.डी.01 में क्या लिखा है, वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार पढ़कर नहीं सुनाये तो वह क्या बताऐगा। यह स्वीकार किया कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर किसके द्वारा उक्त कृत्य किया गया है, वह नहीं बता सकता।

🎤 सुभाष सिंह अ.सा.12 ने कहा है कि वह दिनांक 16.04.2014 को थाना परसवाडा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी मुन्नुलाल मंडलेकर ग्राम लिंगा की लिखित आवेदन पर आरोपी विजय गौतम वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, जिस पर अपराध कमांक 65 / 14 अंतर्गत धारा 153क, 295, 298, 295क, 34 के पंजीबद्ध किया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रार्थी के बताये अनुसार तैयार किया था, जो प्रपी-03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी द्वारा शराब की खाली बोतलें जो बाबा अंबेडकर चबुतरे के पास रखी थी, पेश करने पर गवाह चंद्रभूषण एवं टेमीचंद के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-04 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी मुन्नूलाल मंडलेकर, गवाह रामचरण उर्फ मुन्ना तथा दिनांक 25.04.14 को साक्षी दीनदयाल महार, सेवकराम रामटेके, प्रकाश वैध, जगदीश चिचखेड़े, महेश वांडरे, कपूरचंद मेश्राम, गिरधारी चिचखेड़े, बालचंद मेश्राम, नारायण चिचखेड़े, काशीराम हुमनेकर, एम.एल. गजभिये, दिनेश वाडरे, कुलभूषण नागदौने के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी विजय गौतम, अजय बिसेन, शिवेन्द्र तेकाम, प्रमोद गौतम को दिनांक 17.04.14 को गवाह रामचरण उर्फ मुन्नू तथा मुन्नालाल के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-05 लगायत प्रपी-08 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डिश्माग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 27— साक्षी सुभाष सिंह अ.सा.12 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण द्वारा दिया गया आवेदन प्र.पी—01 में आरोपीगण का नाम लेख नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रपी—03 गवाहों के समक्ष नहीं बनाया था, उसने घटनास्थल से शराब की बोतलें जप्त नहीं की थी, नारायण, दिनेश, महेश, कपूरचंद, प्रकाश, जगदीश, दीनदयाल, सेवकराम, रामचरण, मुन्नुलाल के कथन उसने अपने मन से लेख किया था, उसने साक्षियों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, प्रार्थी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध झूटा प्रकरण पेश किया है।
- प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में अभियुक्तगण का 28-नाम गौतमजी व अन्य लेख है तथा लिखित आवेदन प्र.पी.01 में बनरक्षक गौतम का लेख है। साक्ष्य की सूक्ष्मता से अवलोकन पर दर्शित होता है कि संपूर्ण प्रकरण साक्षी रामचरण अ.सा.02 की साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि उक्त साक्षी घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में ही मात्र आरोपीगण द्वारा उससे ठण्डा लेने के कथन किये हैं। तत्पश्चात साक्षी के अनुसार उसने केवल "ऐसा मत करो" की आवाज सुनी और फिर वहाँ से उने लोगों के जाने के पश्चात प्रतिमास्थल पर बियर की बोतल तथा रम के पाउच देखे थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने शराब की बोतल रखते किसी को नहीं देखा और ना ही आरोपीगण को शराब पीते देखा था। प्रकरण के अधिकांश साक्षियों द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि प्रतिमास्थल मुख्य सड़क से लगा हुआ है और वहाँ रात भर आवागमन रहता है। प्रतिमास्थल पर बोतल तथा माला रखा होना केवल साक्षी रामचरण अ.सा.02 तथा मुन्नुलाल अ.सा.01 ने देखा था। उक्त संबंध में

कोई फोटोग्राफ भी प्रस्तुत नहीं है और विवेचक द्वारा खाली शराब की बोतल थाने में जप्त की गई है, जो कि आसानी से उपलब्ध वस्तु है, जिसकी कोई विशिष्ट पहचान दर्शित नहीं है। पुलिस द्वारा साक्षी रामचरण से अभियुक्तगण की पहचान भी नहीं कराई गई है, जबिक अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई नामज़द रिपोर्ट दर्शित नहीं है। घटनास्थल पर घटना के समय अभियुक्तगण की उपस्थिति की कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और घटना को किसी ने नहीं देखा है।

- 29— यदि साक्षी रामचरण अ.सा.02 की साक्ष्य पर विश्वास किया जाऐ, तब भी उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण के पास शराब की बोतल होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। घटना अप्रैल माह की है, जो कि ग्रीष्मकाल है। ग्रीष्म ऋतु में रात्रि के समय शीतल पेय लिया जाना, शराब सेवन का कोई प्रभाव नहीं है। मुन्नुलाल अ.सा.01 ने कथन किया है कि उसे रामचरण ने बताया था कि बिसेन लड़के ने उन लोगों को बोतल रखने से रोका था, जबिक रामचरण अ.सा.02 के अनुसार उसने केवल ''ऐसा मत करो'' की आवाज सुनी थी, किसी को नहीं देखा था। घटनास्थल सड़क मार्ग से लगा हुआ तथा बस स्टेण्ड के पास है, तथापि रात्रि 2:00 बजे ग्राम बस्ती में बहुत अधिक आवागमन संभावित नहीं है, क्योंकि उक्त मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा अन्य अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग दर्शित नहीं है।
- 30— बचाव पक्ष द्वारा वनरक्षकों की कार्यवाही के कारण वर्तमान प्रकरण में उन्हें आलिप्त किया जाना व्यक्त किया है, जो कि अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि अभियुक्तगण की कार्यवाही से कुछ लोगों के क्षुब्ध होने मात्र से संपूर्ण समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाकर अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त करने का षड़यंत्र किया जाना वास्तविक प्रतीत नहीं होता, जबिक अन्य आरोपों के विकल्प भी मौजूद थे, तथापि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अपुष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।

31— उपरोक्त विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने डॉ० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर प्रतिमा का अपमान एवं बाबा साहब के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिमा के पास शराब की बोतल पर फूलों का हार चढ़ाकर तथा जूता पहनकर प्रतिमा के मंच पर चढ़कर अशोभनीय कार्य कर प्रतिमा का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तथा बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान कर जातियों या समुदाय के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य कर लोक प्रशांति में विध्न डाला एवं बाबा अम्बेडकर के अनुयायी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित किया। फलतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—295/34, 295क/34, 153क/34, 298 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

32- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

33— प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

33— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बियर की खाली बोतल एवं एक रम की खाली बोतल मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / — (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट